

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

वाद सं०-70/2023

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य ग्राम-लोगाई, पंचायत-पड़रिया, प्रखण्ड-राजमहल, जिला-साहेबगंज Video Conference के माध्यम से उपस्थित।। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।

आयोग के 28.02.2024 के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। आज के सुनवाई में अनुपस्थित रहे जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज से सम्पर्क करने पर उन्होंने ने बताया कि उनका जिले से स्थानांतरण हो गया है और नये जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि आयोग के 28.02.2024 के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करे अन्यथा उनके विरुद्ध आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक-28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे। दिनांक-28.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)

सदस्य,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,

राज्य खाद्य आयोग, राँची।